p>

Need to investigate into alleged death of a candidate during the recruitment examination conducted by BSF in Kishanganj, Bihar by Human Rights Commission.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद के गया जिला अंतर्गत गाँव का नाम मुंडेरा, पुलिस स्टेशन कोंच के अंतर्गत एक नौजवान सिंकूराज जिसके पिता का नाम अमरेन्द्र प्रसाद शर्मा है, वह पिछले वर्ष 1 जुलाई, 2015 को बिहार के किशनगंज जिले में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित एक नियुक्ति शिविर में गया। वहाँ किसी कारणवश कुछ हंगामा हुआ, भगदड़ मची। उस नौजवान को सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने पकड़ लिया। उनका कहना है कि हम लोगों ने उस नौजवान को बिहार पुलिस के स्थानीय थाने के जिम्मे कर दिया। इसके साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है और उसकी इतनी पिटाई की गई और उसको अंदरूनी मारा गया। वहाँ इस घटना की दैनिकी भी दर्ज है जो 1773/2015, दिनांक 6 जुलाई, 2015 है, जो किशनगंज थाना में दर्ज है और इसकी एफ.आई.आर. भी उसी थाने में दर्ज है जो 257/2015, दिनांक 6 जुलाई 2015 की है। महोदय, मामला इतना संगीन है कि एक 19-20 साल के नौजवान को इस दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। उसका परिवार बहुत दुखी है। सबसे दुखद यह है कि कोई इस मौत की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। एक परिवार का तो बच्चा गया ही, देश ने एक जनधन को खोया। जो लड़का सीमा सुरक्षा बल में जाकर अपनी सेवा देना चाहता था, उसको मौत मिली। मैंने इस घटना की जाँच के लिए अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग को भी लिखा कि इस घटना की जाँच कराई जाए। दोषी कौन है, चाहे वे सीमा सुरक्षा बल के लोग हों या बिहार पुलिस के लोग हों, उसका पता लगाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस परिवार को आज तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला, न ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की तरफ से मुझे कोई जवाब मिला कि इस पर क्या जांच हो रही है या क्या कार्रवाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इस घटना की जांच हो और दोषियों को सज़ा मिले।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रामचरण बोहरा एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।